

तारीख
हुयम

मुकदमा सं.

राज्य नगरी / पत्रावली नगरी
हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.
3. 139/2024

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुयम की
तामील में जारी हुए

17/2 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक से
आज अंतिम कार्य का एक नमूना
रखा है। पत्रावली पूर्व न्यायालय
नं. 26/3/25 पेश हो।

26/3

पत्रावली पेश हुई। वकील बाबू उपो
तहसीलदार पाटन से एकरा-पर
वास्ते प्राथमिक डिक्री पालना हेतु तहसीर
पानी होत्र पत्रावली दिनांक 22.5.25
से पेश हो।

28/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।
तहसीलदार पाटन से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की
अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त
हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। वकुलाय
उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस
सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने
तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की
अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर
सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक
विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने
का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रिकार्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक
डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन
प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय
उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया।
चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की
अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से
वकुलाय उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद
वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर
मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री
किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत


2/11/25

F.D. 25
लक्ष्मी

12-



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुकम	मुकदमा सं. हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नंबर व तारीख जो इस हुक तामील में ज
	<p>विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> (राजवीर सिंह यादव) सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना सहायक कलक्टर (फ.ट.) नीमकाथाना (सोकर)</p>	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. रामचन्द्र पुत्र श्योकरण जाति गुर्जर निवासी ढाणी खानाला तन डोकन
तहसील पाटन जिला सीकर राज. वगैरह

-वादीगण

बनाम
1. पतारसी देवी पत्नी भीमसिंह जाति गुर्जर निवासी कल्याणपुरा तहसील
कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ राज. वगैरह.

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 32 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री रोशन लाल अग्रवाल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें
के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसव मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		